

पत्रांक-श्रम क०स०-28/2025-558
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, गोपालगंज के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 02 श्रमिक को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रू० 60,000 /- (साठ हजार रूपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 03 श्रमिकों को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रू० 1,50,000 /- (एक लाख पचास हजार रूपए) अर्थात कुल राशि रू० 2,10,000 /- (दो लाख दस हजार रूपए) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

अतः 05 मृतकों/दावेदारों/कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम संबंध/दावेदार, आधार सं०,	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/ मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० ममताज बेगम, 58, मो० राजा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	मो० राजा, (पति),	512, 23.05. 2025 149, 03.01. 2026	ग्रा०+पो०-पथरा, थाना-मांझागढ़, प्रखण्ड-मांझा, जिला-गोपालगंज मो०-7577971887	1005 2710 3016 3881	UBGB , PUNB OMBG B06	रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व० अब्दुल मन्नान हुसैन, 53, स्व० महमुद आलम, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	नसरीन खातुन, (पत्नी),	513, 23.05. 2025 149, 03.01. 2026	ग्रा०+पो०-पथरा, थाना-मांझागढ़, प्रखण्ड-मांझा, जिला-गोपालगंज मो०-9661679846	1005 2710 3013 7417	UBGB , PUNB OMBG B06	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्पर
3	स्व० चंदन प्रसाद उर्फ चन्दन महतो, 52, स्व० सुकुल महतो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अन्नु देवी (पत्नी)	1111, 25.11.2025, 255, 02.03.2026	ग्रा०-शेखटोली, पो०+थाना+प्र०-मांझा, जिला-गोपालगंज मो०-7759968058	3484 7411 28	CBI, CBIN 02817 08	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
4	स्व० रामावती देवी, 57, असफी साह, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	असफी साह, (पति)	1110, 25.11.2025 291, 18.03.2026	ग्रा०-कल्याणपुर मठिया, पो०-सदौवा, थाना-सिधवलिया, प्र०-बरौली, जिला-गोपालगंज मो०-7258056518	1005 1110 1000 3622	UBGB , PUNB OMBG B06	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर तथा पशुपालन का कार्य



5	स्व० संजय महतो, 39, शिवजी महतो, पिछड़ा वर्ग	बसंती देवी, (पत्नी),	699, 15.07. 2025 488, 04.05. 2026	ग्राम-पो-लाईन बाजार, थाना-मीरगंज, प्रखण्ड-हथुआ, जिला-गोपालगंज मो-703318649	100 514 103 007 658 7	UBGB PUNB OMBG B06	रु० 30,000/- (तीस हजार रूप ए)	स्वामाधिकृत मृत्यु, खेतिहर मजदूर
---	---	----------------------	-----------------------------------	--	-----------------------	--------------------	-------------------------------	----------------------------------

कुल रु० 2,10,000 /-

(दो लाख दस हजार रूपए)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
- प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण, समिति श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
- पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक-65, दिनांक- 15.01.2026 के क्रमांक-09 एवं 10 तथा विमुक्ति आदेश ज्ञापांक- 1280, दिनांक- 19.09.2025 के क्रमांक-05, 06 एवं 33 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०स०-28/2025-558

पटना, दिनांक :- 15/05/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि कुल:- रु० 2,10,000 /- (दो लाख दस हजार रूपए) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त, सारण /श्रम अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग।

Signed by Rohit Kumar
Date: 15-05-2026 16:45:17

(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

Signed by Rajesh Bharti

(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।